



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 1989/श्रावण 4, 1911

No. 389]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 1989/SRAVANA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1989

अधिसूचना

सा. का. नि. 715 (प्र).—केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण
अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.

सा. का. नि. 728 (अ) तारीख 24 अगस्त, 1987 को प्रतिष्ठित करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एम. गोस्वामी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
सदस्य
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. एल. जैन, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री जगदीश चन्द्रा, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

[फा. सं. 674/1/89 सी०शु० VIII]
कुलदीप सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1989

G.S.R. 715 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 728 (E), dated 24th August, 1987, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice N. N. Goswamy, Judge of the Delhi High Court
- MEMBERS
2. Hon'ble Mr. Justice M. L. Jain, Retired Judge of the Delhi High Court.
 3. Hon'ble Mr. Justice Jagdish Chandra, Retired Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 674/1/89-Cus. VIII]
KULDIP SINGH, Under Secy